न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला–पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री श्यामसुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 191/2022
GCMS NO. : 2022/367

–: वादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र धन्नाराम
2. शंकरलाल पुत्र धन्नाराम
3. नोरतमल पुत्र धन्नाराम
4. मुकेश पुत्र धन्नाराम
5. मीरा पुत्री धन्नाराम

जातियान माली निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. पोकरराम पुत्र बचनाराम
2. भंवरलाल पुत्र बचनाराम
3. बंशीलाल पुत्र मांगीलाल
4. बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम
5. कालची पुत्र चन्द्राराम
6. केलकी पत्नी घीसाराम
7. लक्ष्मणराम पुत्र घीसाराम
8. बाबूलाल पुत्र घीसाराम
9. दरियाव पुत्री घीसाराम
10. पपली पुत्री घीसाराम
11. बगदु देवी पुत्री घीसाराम
12. समली पुत्री घीसाराम

जातियान माली निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

13. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः–01/11/2022

उपस्थितः–

1. श्री श्याम लाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री महावीर सिंह उदावत, श्री देवेंद्र सिंह राठौड़, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः–05/05/2023**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा निमाज, पटवार निमाज प्रथम, तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 305/6 रकबा [illegible] किस्म चाही चारम की आई हुई है। जिसकी वर्तमान जमाबन्दी व खसरा [illegible] वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। प्रस्तुत वादीगण एवं प्रतिवादीगण की [illegible] वृक्षावली [illegible] स्पष्ट है कि बचनाराम जी के वादीगण के पिता सहित छः पुत्र थे। [illegible] क्रमशः मांगीलाल, [illegible]न्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम व भंवरलाल ने अपने सगे भाई धन्नाराम के पक्ष में एक बक्शीशनामा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

26.12.2008 को पंजीबद्ध करवाया कि खसरा नम्बर 305 रकबा 20-15 बीघा किस्म चाही चारम आई हुई है। उक्त वर्णित भूमि का हिस्सा 1/2 का 71/83 का 142/3071 हिस्सा की भूमि करीबन 08 बीघा आती है जो बक्शीशकर्ता ने वादीगण के पिता स्वर्गीय धन्नाराम को बक्शीश की थी। जिस बक्शीशनामा की प्रति दावे के साथ पेश की जा रही है। वादीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में तत्कालीन पटवारी निमाज को वास्ते नामान्तरण हेतु एक प्रति बक्शीशनामें की दी थी। लेकिन पटवारी हल्का ने उस पर कोई कार्यवाही नही की। जब उक्त तथ्य वादीगण के पिता के देहान्त के बाद वादीगण के ध्यान में आया तो वादीगण ने एक प्रार्थना-पत्र श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी, जैतारण में अन्तर्गत धारा 133 एल.आर.एक्ट., 1956 का पेश किया। जिस पर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी ने तहसीलदार जैतारण को उक्त प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 19.09.2022 को भेजा गया तथा श्रीमान् तहसीलदार साहब जैतारण ने दिनांक 20.09.2022 को पटवारी हल्का निमाज प्रथम को जांच के लिये भेजा गया। वादीगण ने उक्त प्रार्थना-पत्र की कार्यवाही हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि पांच बक्शीशकर्ता में से तीन बक्शीशकर्ता की मृत्यु हो चुकी है। तथा बक्शीश ग्रहिता धन्नाराम की भी मृत्यु हो चुकी है। इसलिये नामान्तकरण की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इसलिये यह वादपत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। यदि उक्त बक्शीशनामा दिनांक 26.12.2008 के अनुसार यदि नामान्तकरण नही होते है तो वादीगण को असीम क्षति होगी व विविध प्रकार की मुकदमें बाजी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही होगी। जिससे वादीगण अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि के साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा-हमेशा के लिये महरूम हो जायेगी। इसलिये यह वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 07 भूमिधारी राजस्थान सरकारी के प्रतिनिधि हैं इसलिए धारा 80(2)सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया गया है। बिनाय वाद दिनांक 20.10.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को इस विवादित भूमि पर जबरदस्ती बेदखल कर अपना कब्जा करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम निमाज तहसील-जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो अंदर म्याद एवं अदालत श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मन् वास्ते तलब किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा वकालतनामा पेश किया गया जो शमिल मिसल है।

प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच में भाईबन्ध एवं हिस्सेदार होने से व समाज के मौजिज व्यक्तिगण की समझाईश से राजीनामा हो गया है तथा वादीगण उक्त प्रकरण में आगे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नही चाहते है। पंजीबद्ध बक्शीशनामा दिनांक 26.12.2008 के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति, ऐतराज नही है। इसलिये उपरो[illegible]दीक फरमाया जाने बाबत् आदेश फरमावें।

हमनें पत्रावली का [illegible]पूर्वक अवलो[illegible] किया गया। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया [illegible] वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। उपयुक्त विवेचन के आलोक में बिन्दूवार निर्णय निम्नानुसार है-

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी [illegible]
सहायक कलक्टर जैतारण ([illegible])

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर इस्तदुआ कि है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक पुश्तैनी एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि राजस्व मौजा निमाज पटवार निमाज प्रथम तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 305/6 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही चारम की आई है। बचनाराम जी के वादीगण के पिता सहित छः पुत्र थें। जिनमें से पांच पुत्र क्रमशः मांगीलाल, चन्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम व भंवरलाल ने अपने सगे भाई धन्नाराम के पक्ष में एक बक्शीशनामा दिनांक 26.12.2008 को पंजीबद्ध करवाया कि खसरा नम्बर 305 रकबा 20-15 बीघा भूमि का हिस्सा 1/2 का 71/83 हिस्सा का 142/3071 हिस्सा की भूमि (करीबन 08 बीघा) को बक्शीशकर्ता ने वादीगण के पिता स्वर्गीय धन्नाराम को बक्शीश की थी।
2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा बख्शीशनामा की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श-2) के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम निजाम में खाता संख्या 767 खसरा संख्या 305 रकबा 20-15 बीघा में से आने-जाने हेतु रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदार देवकुमार, कपूरचन्द पि0 सीताराम से जरिए बैचान रजिस्ट्र 16.08.2003 को मांगीलाल, चन्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम, भंवरलाल पि0 बचनाराम ने 08 बिस्वा भूमि खरीद की थी। चूंकि धन्नाराम पुत्र बचनाराम की कृषि भूमि भी इस रास्ते के आगे स्थित है लेकिन इस रास्ते की आठ बिस्वा भूमि में उनका नाम नहीं होने से मांगीलाल, चन्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम, भंवरलाल पि0 बचनाराम द्वारा खसरा नम्बर 305 रकबा 20-15 बीघा में बख्शीशनामा 1/2 का 71/83 का 142/3071 का 1/6 हिस्सा धन्नाराम पुत्र बचनाराम की किया गया शेष 1/2 का 71/83 का 142/3071 का 5/6 शेष रहा। रह बख्शीशनामा उपपंजियन अधिकारी, जैतारण के कार्यालय में दिनांक 26.12.2008 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 72 में पृष्ठ संख्या 50 क्रम संख्या 2008003401 पर पंजिबद्ध किया गया। ग्राम निमाज-प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2061-2064 (प्रदर्श-3), संवत् 2065-2068 (प्रदर्श-4) से स्पष्ट है कि वादीगण बख्शीशकर्ता मांगीलाल, चन्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम, भंवरलाल पि0 बचनाराम खाता संख्या 767 खसरा संख्या 305 रकबा 20-15 बीघा में से हिस्सा 1/2 का 71/83 का 142/3071 हिस्सा, 08 बिस्वा के खातेदार काश्तकार दर्ज थे। जमाबन्दी संवत् 2069-2072 (प्रदर्श-5) से स्पष्ट है कि कालान्तर में नामान्तरकरण संख्या 3539 दिनांक 27.01.2011 के द्वारा खाता संख्या 767 खसरा संख्या 305 रकबा 20-15 बीघा का विभाजन किया गया। उक्त विभाजन उपरान्त मांगीलाल, चन्द्राराम, घीसाराम, पोकरराम, भंवरलाल पि0 बचनाराम खाता संख्या 629 खसरा संख्या 305/6 रकबा 08 बिस्वा किस्म चाही चारम के खातेदार काबिज है।
3. वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा पूर्व में पंजीबद्ध दस्तावेज यथा बख्शीशनामा के आधार पर पत्रावली का निर्णय किये जाने हेतु आपसी राजीनामा प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा जमाबन्दी, बख्शीशनामा, राजीमाना एवं उभयपक्ष की बहस के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 305/6 रकबा 0.0647 भूमि में बख्शीशनामा एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

राजीनामा अनुसार धन्नाराम पुत्र बचनाराम के वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 तक को 1/6 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित एवं विधि संगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद वादीगण अंतर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम के भू–अभिलेख तहसील जैतारण में खाता संख्या 629 खसरा नम्बर 305/6 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही चारम के भू–अभिलेख में 1/6 हिस्से में धन्नाराम पुत्र बचनाराम के वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 के नाम की प्रविष्टि को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है एवं शेष 5/6 हिस्से में खातेदारों की प्रविष्टि यथावत रहेगी। तदनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें। खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। इसी मुताबिक डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **05/05/2023** को प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प निमाज में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलेक्टर, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालतः– उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगण :–

1. सोहनलाल पुत्र धन्नाराम
2. शंकरलाल पुत्र धन्नाराम
3. नोरतमल पुत्र धन्नाराम
4. मुकेश पुत्र धन्नाराम
5. मीरा पुत्री धन्नाराम

जातियान माली निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. पोकरराम पुत्र बचनाराम
2. भंवरलाल पुत्र बचनाराम
3. बंशीलाल पुत्र मांगीलाल
4. बाबूलाल पुत्र चन्द्राराम
5. कालची पुत्र चन्द्राराम
6. केलकी पत्नी घीसाराम
7. लक्ष्मणराम पुत्र घीसाराम
8. बाबूलाल पुत्र घीसाराम
9. दरियाव पुत्री घीसाराम
10. पपली पुत्री घीसाराम
11. बगदु देवी पुत्री घीसाराम
12. समली पुत्री घीसाराम
    जातियान माली निवासीगण– निमाज, तहसील– जैतारण, जिला– पाली, राजस्थान।
13. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील जैतारण।

मु०न० :रा०वा०स०– 191/2022

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88, 92ए रा.का.अधि., 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री श्यामलाल तंवर, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई एवं श्री महावीर सिंह उदावत, श्री देवेन्द्र सिंह राठौड, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा निमाज प्रथम, पटवार हल्का निमाज प्रथम के भू–अभिलेख तहसील जैतारण में खाता संख्या 629 खसरा नम्बर 305/6 रकबा 0.0647 किस्म चाही चारम के भू–अभिलेख में 1/6 हिस्से में धन्नाराम पुत्र बचनाराम के वारिसान वादीगण संख्या 1 से 5 तक के नाम की प्रविष्टि को दर्ज करते हुये इस आशय की घोषणा की जाती है एवं शेष 5/6 हिस्से में खातेदारों की प्रविष्ठि यथावत रहेगी। तदनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। प्रतिवादीगण को जरिये शाश्वत व्यादेश पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं या अन्य नौकर चाकर, हाली एजेन्ट आदि द्वारा वादग्रस्त आराजी में वादीगण के [illegible] काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार का दखल व दस्तन्दाजी न करें व न ही करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण (पाली)

खर्चा मुकदमा वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपना अपना स्वयं वहन करेगें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.......खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प निमाज के आज तारीख 05/05/2023 को जारी किया गया।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, जैतारण
(जिला पाली)

मुद्धई	रुपये पैसे	मुद्धायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	2.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	7.00	मिजानः–	1.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.07.25 11:50:56 IST
Reason: SelfAttested